



केन्द्रीय मुहर विभाग – 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 17262

21 08 2024

विषय: IS 17262 : 2022 (वस्त्रादि — पालिएस्टर अंशिक उन्मुख धागे (पी ओ वाय — विशिष्ट) में संशोधन संख्या 5 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 17262 : 2022 में संशोधन संख्या 5 प्रकाशित हो चुकी है। IS 17262 : 2022 में संशोधन संख्या 5 के अनुपालन की अंतिम तिथि **25 जनवरी 2025** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 17262 : 2022 में संशोधन संख्या 5 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **25 जनवरी 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(हरीश मीना)
वैज्ञानिक-बी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित
प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 17262

21 08 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 5 to Indian Standard 17262: 2022 (Textiles – Polyester Partially Oriented Yarn (POY) - Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 5 to IS 17262: 2022 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 5 to IS 17262: 2022 is **25 January 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **25 January 2025**

(Harish Meena)
Scientist B (CMD-2)

Head (CMD - 2)

**Circulated to: All licensees/applicants
Copy to: BIS Branch Offices**